


(66)

चायात्य श्रीमान् राजस्व कंडल बैबीलियर (भा० ५०) १५

A-4277
J-412
क्रमांक 833

दिल्ली दस्तखत आज
२४/१२/२०१३ प्राप्त



R 1027 J/12

श्रीमान् त्रिपैदी तन्य दुष्माकुमार त्रिपैदी निवासी ग्राम सौनवधा, तहसील सिहावल

जिला सीधी झ.पु.

निगरा नीकर्ता

बनाम

१. भगवा नदास गुप्ता पिता श्री छील्लाल प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम सौनवधा,

तहसील सिहावल, जिला सीधी झ.पु.

२. पासन मध्य पुढेषा

— गैर निगरा नीकर्ता

निगरा नीअन्तर्गत धारा ५० म.प.भ.रा.सं. १९५२

निगरा नी विस्त आदेश चायात्य तहसीलदार

तहसील सिहावल जिला सीधी झ.पु. के प्रकरण

कुमाऊ ११/१२/२०११*१२ के आदेश दिनांक-

४.२.२०१२

मा चयर,

निम्नों किए निगरा नी प्रस्तुत हैं:-

१. यहकि श्री अधीनस्थ चायात्य का आदेश विधि प्रक्रिया एवं सहज चाय
सिहान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने थे थे हैं।

२. यहकि गैर निगरा नीकर्ता द्वारा आराजी छारा कुमाऊ ४७३ रकवा ०.०५ है
विधि ग्राम सौनवधा, तहसील सिहावल जिला सीधी के सीमांकन हैतु आपैदनपत्र
प्रस्तुत किया गया जिसमें निगरा नीकर्ता को वगैर सुनवाई एवं सूचना दिए सीमांकन
की कार्यपा ही की है हल्का पट्टारी द्वारा गवानी स्प से वगैर सीमा का
निधारण किए सीमांकन किया गया है उक्त सीमांकन सीमांकन हैतु बनाए गए नियमों
एवं प्रक्रियाओं के बिपरीत था परन्तु अधीनस्थ चायात्य द्वारा सीमांकन की पुष्टि
कर विधि भूल की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्रो-R.1027-I/12

जिला-सीधी

श्रीकांत द्विवेदी / भगवानदास गुप्ता

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

18.07.17

- प्रकरण प्रस्तुत।
- आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।
- चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दाव. हो।

संदर्भ

M

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----